



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 05.11.2022

1-थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस द्वारा मकान निर्माण के दौरान लापरवाही बरतने के कारण मिट्टी में दबकर हुई 07 वर्षीय बच्ची की मृत्यु से सम्बन्धित मकान मालिक व ठेकेदार गिरफ्तार।

दिनांक 04.11.2022 को सेक्टर-31 नोएडा स्थित प्लॉट सं0 ए-67 के बेसमेंट में मानक के अनुसार बेसमेंट की खुदाई न कराने के कारण बच्ची मनोरमा उम्र 07 वर्ष के ऊपर मिट्टी गिर जाने पर हुई मृत्यु के सम्बन्ध में मृतका बच्ची के पिता श्री चन्द्रशेखर पुत्र स्वामीदीन निवासी ग्राम नंगवा, थाना कदौरा, जिला जालौन ने दिनांक 05.11.2022 को थाना सेक्टर-20 पर मु0अ0सं0 476/22 धारा 304 भादवि बनाम मकान मालिक राजेश अरोरा व ठेकेदार जयराम के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा दिनांक 05.11.2022 को 1.मकान मालिक राजेश अरोरा पुत्र सुदर्शन अरोरा निवासी सी-1/34 सेक्टर-36, नोएडा व 2.ठेकेदार जयराम पुत्र गणेश शाह निवासी विष्णु बिहार, छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम बहरेला, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर को निठारी सेक्टर-31 से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण:

1.राजेश अरोरा पुत्र सुदर्शन अरोरा निवासी सी-1/34 सेक्टर-36, नोएडा।

2.जयराम पुत्र गणेश शाह निवासी विष्णु बिहार, छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम बहरेला, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 476/22 धारा 304 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर



#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार सभी जोन के डीसीपी, एडीसीपी के नेतृत्व में सभी एसीपी व थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल मार्च करते हुए संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 109 लोगों के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्रवाई।

दिनांक 05/11/2022 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार सभी जोन के डीसीपी, सभी एडीसीपी के नेतृत्व में सभी एसीपी व थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल मार्च किया गया। पैदल मार्च के दौरान पुलिस अधिकारीगण द्वारा संदिग्ध प्रतीत हो रहे वाहनों/व्यक्तियों को चेक किया गया तथा बाजार या मुख्य चौराहों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी दी गई जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या न उत्पन्न हो सके। पुलिस अधिकारीगण द्वारा सड़क, मॉल व सर्राफ की दुकानों पर सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया और वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सभी थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया तथा सार्वजनिक स्थान पर खुले में शराब पी रहे कुल 109 लोगों के विरुद्ध 290 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

